इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 378]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 जुलाई 2018-आषाढ़ 13, शक 1940

परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2018

क्र. एफ-22-15-2017-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 28 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 38 की उपधारा (2), धारा 65 की उपधारा (2) तथा धारा 96 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (2) द्वारा यथाअपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 1 मार्च 2018 में पूर्व में प्रकाशित की जा चुकी है, अर्थात् :—

उक्त नियमों में,--

- 1. नियम 5-क को, नियम 5-क (1) के रुप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
 - ''(2) आवेदक, आधारकार्ड या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त कोई अन्य परिचय प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्, सीधे तौर पर भी चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकेगा.''
- 2. नियम 5-क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
 - ''(5-ख) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति प्रदाय करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि चालक अनुज्ञप्ति स्वीकृति से संबंधित अंतर्विष्ट समस्त अभिलेखों सिहत मूल नस्ती, कम्प्यूटर द्वारा स्कैन करने के पश्चात्, निम्नलिखित निर्वंधनों के अधीन, अनुज्ञप्तिधारक की अभिरक्षा में दी गई है :—
 - (एक) ं अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी/न्यायालय/िकसी प्राधिकारी के कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर उसकी अभिरक्षा में दी गई मूल नस्ती प्रस्तुत किए जाना सुनिश्चित किए जाने हेतु एक बंधपत्र/शपथपत्र प्रस्तुत करेगा.

- (दो) मूल नस्ती खो जाए/नष्ट हो जाने/विरूपित हो जाने की दशा में अनुज्ञप्तिधारक संबंधित पुलिस को दी गई सूचना की प्रति प्रस्तुत करेगा.
- (तीन) चालक अनुज्ञप्ति के धारक को अपेक्षित फीस जमा करने के पश्चात् कम्प्यूटर में स्कैन अभिलेखों की द्वितीय प्रति उपलब्ध कराई जाएगी.''
- 3. नियम 27 में, उपनियम (1) में, खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्न खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
 - ''(ज) आवेदक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त आधार कार्ड या अन्य किसी परिचय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् सीधे तौर पर परिचालक अनुज्ञप्ति भी प्राप्त कर सकेगा.''
- 4. नियम 46-क को नियम 46-क (1) के रूप में पुन:र्क्रमांकित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
 - ''(2) रजिस्ट्रीकृत स्वामी, आधार कार्ड या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त कोई अन्य परिचय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् स्मार्ट कार्ड में सीधे तौर पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं.''
- 5. नियम 46-क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :--
 - ''46–ख प्ररूप 20 में मूल आवेदन को सुसंगत अभिलेख सिहत कम्प्यूटर द्वारा स्कैन किया जाएगा और तत्पश्चात् रिजस्ट्रीकृत वाहन स्वामी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अभिरक्षा में दिया जाएगा :—
 - (क) वाहन स्वामी, रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी या न्यायालय के कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर उसकी अभिरक्षा में दी गई मूल नस्ती प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करते हुए बंधपत्र/शपथपत्र प्रस्तुत करेगा.
 - (ख) मूल नस्ती खो जाने/नष्ट हो जाने/विरूपित हो जाने की दशा में रिजस्ट्रीकृत वाहन स्वामी, संबंधित पुलिस को दी गई सूचना की प्रति प्रस्तुत करेगा.
 - (ग) वाहन के रिजस्ट्रीकृत स्वामी को अपेक्षित फीस जमा करने के पश्चात् कम्प्यूटर में स्कैन अभिलेखों की द्वितीय प्रति उपलब्ध कराई जाएगी.

No. F 22-15-2017-VIII.—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 28 read with sub-section (2) of section 38, sub-section (2), of Section 65 and sub-section (2) of section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), The State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules 1994, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 1 March 2018 as required by sub-section (2) section 212 of the said Act, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

- 1. Rule 5-A shall be renumbered as rule 5-A (1) and thereafter following sub-rule shall be inserted, namely:—
 - "(2) The applicant may also directly obtain driving license after producing the Adhar Card or any other identity certificate with photo issued by the competent Authority."
- 2. After Rule 5-A the following Rule shall be inserted, namely:—
 - (5-B) The licensing authority at the time of delivering the driving the license to the holder shall ensure that the original file, containing all documents relating to the grant of driving license, after scanning it by the computer, is given in the custody of license holder under following restrictions:—

- (i) The license holder shall submit a bond/affidavit to ensure the production of original file given in his custody on demand by the office of the licensing authority/court/any authority.
- (ii) In case the original file lost/destroyed/mutilated, the holder of license shall submit the copy of information given to the police concerned.
- (iii) The holder of driving license shall be provided duplicate copy of the documents scanned in computer after depositing the requisite fee."
- 3. In rule 27, in sub-rule (1) after clause (g), the following clause shall be inserted namely:—
 - "(h) The applicant can also obtain conductor license directly after producing the Adhar Card or any other identity certificate with photo issued by the competent Authority."
- 4. Rule 46-A Shall be renumbered as "46-A (1)" and thereafter following sub-rule shall be inserted, namely:—
 - "(2) The registered owner can also directly obtain the registration certificate in smart card after producing Adhar card or any other identity certificate with photo issued by the competent Authority."
- 5. Rule 46-A, the following Rule shall be inserted, namely:—
 - "46-B. The original application in form-20 submitted along with relevant document shall be scanned by the computer and thereafter given in the custody of registered owner of vehicle under following conditions:—
 - (a) The vehicle owner shall submit a bond/affidavit to ensure the production of original file given in his costody on demand by the office of the registering authority or court.
 - (b) In case the original file is lost/destroyed/mutilated, the owner of registered vehicle shall submit the copy of information given to the police concerned.
 - (c) The registered owner of the vehicle shall be provided duplicate copy of the documents scanned in computer after depositing the requisite fee.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमल नागर, उपसचिव.